भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2672
सोमवार, 09 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

जौनपुर में कामगारों का कल्याण

2672. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में औद्योगिक इकाइयों की कमी और कृषि संकट के कारण अकुशल कामगारों का अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास ई-श्रम पोर्टल के तहत उक्त जिले के पंजीकृत प्रवासी कामगारों का डेटा है और गंतव्य राज्यों में उक्त कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित तंत्र का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए श्रम संहिता, 2025 के तहत गिग कामगारों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी और पेंशन सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए कामगारों के कौशल विकास हेतु उक्त जिले में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): अन्य राज्यों में अकुशल कामगारों के बड़े पैमाने पर पलायन को रोकने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) देश के समग्र विकास हेतु कई कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबीजीआरएएमजी), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाईजी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्लूडीसी-पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। बढ़ई और राजमिस्त्री सहित अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 ट्रेडों के कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा योजना' शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, देश भर के पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, कौशल उन्नयन आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

जारी/2--

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस, 'ई-श्रम पोर्टल' का शुभारंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और ऐसे कामगारों को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने में सुविधा प्रदान करना है। यह असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर अपना पंजीकरण करने की अनुमति देता है। दिनांक 02.03.2026 तक, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के प्रवासी कामगारों सहित कुल 21,56,619 असंगठित कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। हालांकि, ई-श्रम पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 02.03.2026 तक जौनपुर जिले से 17,169 श्रमिक पलायन कर चुके हैं और 2,869 श्रमिक जौनपुर जिले में आए हैं।

बजट घोषणा 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच हेतु ई-श्रम को 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को "ई-श्रम-वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया है। "ई-श्रम-वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल, यानी ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। इससे ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगार न केवल विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि अब तक प्राप्त लाभों का विवरण भी ई-श्रम के माध्यम से देख सकते हैं।

असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबीजीआरएएमजी), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) आदि शामिल हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, ई-श्रम को नौकरी के अवसरों के लिए नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) और पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) के साथ भी जोड़ा गया है।

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है। ओएसएच संहिता प्रवासी कामगारों सहित संगठित और असंगठित कामगारों की सभी श्रेणियों के लिए उचित कार्यदशाएं, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, टोल-फ्री हेल्पलाइन, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह संहिता प्रत्येक उस प्रतिष्ठान पर

लागू होगी जिसमें दस या अधिक अन्तरराज्यिक प्रवासी कामगार नियोजित हैं या पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन नियोजित थे।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 वर्तमान सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक एकल ढांचे में समेकित करने और सरल बनाने के उद्देश्य से दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी हो गई है। इसका मुख्य लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना और संगठित, असंगठित, गिग, प्लेटफॉर्म और स्वरोजगार करने वाले कामगारों सहित सभी श्रेणियों के कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। यह संहिता विभिन्न रोजगारों और राज्यों के बीच लाभों की सुवाह्यता को बढ़ावा देती है और केंद्र तथा राज्य सरकारों को उचित योजनाएं बनाने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, कुशल वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और बदलती श्रम बाजार स्थितियों के अनुरूप कार्यबल को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकारों, नियोक्ताओं और एग्रीगेटर्स की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना इसका उद्देश्य है। यह संहिता गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का प्रावधान करती है।

वर्ष 2015 में शुरू किए गए भारत सरकार के 'कौशल भारत मिशन' (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) कामकाजी उम्र की आबादी के कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए देशभर में समाज के सभी वर्गों को प्रमुख योजनाओं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केन्द्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये पहलें सामूहिक रूप से राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कौशल, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, सॉफ्ट स्किल्स और उद्यमिता को बढ़ावा देती हैं। इन प्रयासों को 'कौशल भारत' बैनर के तहत बड़े पैमाने पर गतिशीलता और जागरूकता अभियानों, जैसे कि रोज़गार मेलों, शिक्षुता अभियानों और स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) के माध्यम से डिजिटल आउटरीच द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

*****